



S.V. GOVT. COLLEGE GHUMARWIN

Distt.- Bilaspur, Himachal Pradesh, Pin-174021,

Phone and Fax 01978-255551. www.gcghumarwin.org.in, gcghumarwin-hp@nic.in


No. EDN-GCG-07/2011-12

Dated : 04/10/2023

निविदा सूचना

राजकीय महाविद्यालय में गर्ल हॉस्टल मेस चलाने के लिए
निविदाएं आमंत्रण हेतु

राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में शैक्षणिक सत्र (2023-24) तक गर्ल हॉस्टल मेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फॉर्म कॉलेज कार्यालय से ₹ 600/- (फॉर्म एवं बयाना) का शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं 13/10/2023 शाम 5:00 बजे तक महाविद्यालय में जमा होंगी एवं 16/10/2023 को सुबह 11:00 बजे प्राचार्य के कार्यालय में खोली जाएंगी। गर्ल हॉस्टल मेस के संचालनकर्ता पर महाविद्यालय द्वारा लगाई गई सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। निवेदक के पास भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.gcghumarwin.org.in से प्राप्त की जा सकती हैं।


जारीकर्ता
S.V. Govt. Degree College
Ghumarwin
Distt. Bilaspur
प्राचार्य

TERMS AND CONDITIONS OF AGREEMENT

1. The Security Rs.10,000/- (Ten Thousand) has to be deposited as Security Money which is refundable after the completion of contract.
2. That if service provider leaves on his own or breaches the contract, his security deposit will stand forfeited.
3. That if food supplied is not up to mark and girls complain then college reserves the right to cancel the contract.
4. That in case complaint received from Girls, Memo will be issued and shall be fined Rs.500/- (Five hundred) for first and second memo. Hostel advisory Committee will review for any strict action or cancellation of Contract on Third Complaint.
5. That monthly Mess charges will be charged from the students on following basis :-
 - (a) For less than 15 days : Half of Total Monthly Mess amount
 - (b) For 15 or More than 15 days : Full Monthly Mess amount.
6. That No advance will be taken from the Girls students
7. That Mess Provider must issue receipt of the payment made by Girls every month.
8. That the Food must be provided hot and fresh
9. That High quality ration, Vegetable, fruits and milk products has to be used.
10. That disposal of garbage and cleanliness should be taken care by Mess Provider.
11. That the proper care of Hygiene and cleanliness of mess area is the responsibility of the mess contractor.
12. That Mess Contractor will pay monthly the electricity charges of Mess as per the reading of Sub-meter in the College Office.
13. That any damage to the electrical and sanitary fitting in the Mess will be borne by the Mess Contractor.
14. That mess service provider has to arrange his utensils, fuel and ration for Catering.
15. That mess provider must follow the mess timing as per details given below:
Breakfast : 08:00 AM to 09:00AM
Lunch : 12.30 PM to 03.30 PM
Dinner : 08:00 PM to 09:00PM
16. That Mess Contractor and his Staff will maintain discipline in the Hostel and will not enter the Hostel before 5:30 AM and after 10.00 PM in any circumstances.
17. That Food must be cooked and served inside the hostel.
18. That only authorized person will enter in the Girl Hostel.

समझौते के नियम और शर्तें

1. सिक्क्योरिटी राशि के रूप में 10,000/- रुपये (दस हजार) जमा करना होगा जो अनुबंध पूरा होने के बाद वापस किया जा सकेगा।
2. यदि सेवा प्रदाता स्वयं छोड़ता है या अनुबंध का उल्लंघन करता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी.
3. यदि आपूर्ति किया गया भोजन मानक के अनुरूप नहीं है और लड़कियां शिकायत करती हैं तो कॉलेज के पास अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. लड़कियों से शिकायत मिलने पर मेमो जारी किया जाएगा और पहले और दूसरे मेमो के लिए 500/- (पांच सौ) रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। छात्रावास सलाहकार समिति तीसरी शिकायत पर किसी भी सख्त कार्रवाई या अनुबंध को रद्द करने की समीक्षा करेगी।
5. छात्रों से मासिक मेस शुल्क निम्नलिखित आधार पर लिया जाएगा:-
 - (ए) 15 दिनों से कम के लिए: कुल मासिक मेस राशि का आधा
 - (बी) 15 या 15 से अधिक दिनों के लिए: पूर्ण मासिक मेस राशि।
6. यह कि छात्राओं से कोई अग्रिम राशि नहीं ली जायेगी
7. उस मेस प्रोवाइडर को हर महीने लड़कियों द्वारा किए गए भुगतान की रसीद जारी करनी होगी।
8. भोजन गर्म और ताजा उपलब्ध कराया जाना चाहिए
9. उच्च गुणवत्ता वाला राशन, सब्जी, फल और दूध से बने उत्पादों का उपयोग करना होगा।
10. कूड़े का निपटान एवं साफ-सफाई मेस प्रदाता द्वारा की जानी चाहिए।
11. मेस क्षेत्र की स्वच्छता और साफ-सफाई की उचित देखभाल मेस ठेकेदार की जिम्मेदारी है।
12. वह मेस ठेकेदार कॉलेज कार्यालय में सब-मीटर की रीडिंग के अनुसार मेस के बिजली शुल्क का मासिक भुगतान करेगा।
13. मेस में बिजली और सैनिटरी फिटिंग को कोई भी नुकसान मेस ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
14. उस मेस सर्विस प्रोवाइडर को कैटरिंग के लिए अपने बर्तन, ईंधन और राशन की व्यवस्था करनी होगी।
15. उस मेस प्रदाता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेस समय का पालन करना होगा:
 - नाश्ता: प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक
 - दोपहर का भोजन: दोपहर 12.30 बजे से 03.30 बजे तक
 - रात्रि भोजन : रात्रि 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक
16. मेस ठेकेदार एवं उसका स्टाफ छात्रावास में अनुशासन बनाए रखेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में प्रातः 5:30 बजे से पहले एवं रात्रि 10:00 बजे के बाद छात्रावास में प्रवेश नहीं करेंगे।
17. भोजन छात्रावास के अंदर ही पकाया और परोसा जाना चाहिए।
18. बालिका छात्रावास में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करेगा।